

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री शिवप्रताप सिंह पुत्र अक्षय सिंह मॉ बाला सती लॉ ऐसोसियेट्स, रावत शॉपिंग मॉल, बाल मन्दिर स्कूल के पास दूगड विद्यालय रोड मुख्य बाजार सरदारशहर, जिला चुरू (राज0)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग, कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा।

प्रकरण संख्या :- 158 / 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.11.2025	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none">पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।अपीलार्थी ने आवेदन-पत्र दिनांक 05.09.2025 से अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये।लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग, कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 24168 दिनांक 13-11-2025 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 23893 दिनांक 03.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित कर दिया गया है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। <p>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 25-11-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(शिवप्रताप सिंह संघ)
जिला कलेक्टर
प्रथम अपीलीय अधिकारी
भीलवाड़ा
लोक सूचना एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा